न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 10/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
दीपसिह पुत्र हुक्मसिह उम्र 90 वर्ष जतियान राजपुत निवासी एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर		1. दुर्गसिह पुत्र बलवन्तसिह उम्र 70 वर्ष 2. सांवतसिह पुत्र बलवन्तसिह उम्र 68 वर्ष 3. हरिसिह पुत्र बलवन्तसिह उम्र 65 वर्ष 4. कमलसिह पुत्र बलवन्तसिह उम्र 63 वर्ष 5. खेतसिह पुत्र जोरसिह उम्र 70 वर्ष 6. पपूसिह पुत्र जयसिह उम्र 35 वर्ष 7. चूतरसिह पुत्र जयसिह उम्र 28 वर्ष 8. तेजसिह पुत्र जुगतसिह उम्र 60 वर्ष 9. निर्मलसिह पुत्र जुगतसिह उम्र 55 वर्ष 10. प्रतापसिह पुत्र जुगतसिह उम्र 53 वर्ष 11. श्रीमति बालकंवर पत्नी स्वर्गीय जुगतसिह उम्र 86 12. हीरसिह पुत्र मगलसिह उम्र 35 वर्ष 13. श्रीमति देशकंवर पत्नी स्वर्गीय मंगलसिह 80 वर्ष 14. चौनसिह पुत्र मलसिह उम्र 60 वर्ष 15. शेरसिह पुत्र मलसिह उम्र 53 वर्ष 16. श्रीमति केकूकवर पत्नी मलसिह उम्र 90 वर्ष जातियान राजपुत निवासी डाबड भाटीयान तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 17. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई शाखा सिणधरी 18. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 1 सें 17 एकतरफा।
3. विप्रार्थी सं. 18 के पैरोकार सरकार उप0।

Signature Not Verified

निर्णय

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:41 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वक्त प्रार्थी श्री रामजीवन विशनोई द्वारा उपस्थित होकर एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने तर्क दिए कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है।
संख्या 1 से 16 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा डाबड़ भाटियान तहसील सिणधरी
संख्या 109 क्षेत्रफल 24.6664 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी एवं विप्रार्थी
से 16 के राजस्व रिकार्ड में हिस्से भी खुले हुए है, और हिस्सेनुसार प्रार्थी का मौके पर
काश्त चला आ रहा है। लेकिन विवादित भूमि का विधिवत बंटवाड़ा करवाये बिना
विप्रार्थीगण प्रार्थी की कब्जा शुदा भूमि को अजनबी क्रेताओं को बेचान करने एवं मौके
स्थिति में फेरबदल करने पर उतारू हैं। आये दिन धमकिया देते है, कि प्रार्थी को
कब्जाशुदा भूमि से बेदखल कर दिया जावेगा। यदि दौराने विचारण वाद के प्रार्थी
कब्जाशुदा खातेदारी भूमि की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति में फेरबदल हो जाता है, तो
प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई भविष्य में भी संभव नहीं है। अतः प्रार्थी के पक्ष
में विप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जावे, कि वे विवादित भूमि
की राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये
रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण
सं. 1 से 17 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर
उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व
रिकार्ड का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि
प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 16 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा डाबड़ भाटियान तहसील
सिणधरी की खसरा संख्या 109 क्षेत्रफल 24.6664 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी एवं
विप्रार्थी संख्या 1 से 16 के राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में हिस्से भी खुए हुए है.जा पत्रावली के
संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी अवलोकन से स्पष्ट है। लेकिन विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने
के कारण यदि दौराने विचारण वाद प्रार्थी को कब्जा शुदा खातेदारी भूमि से बेदखल करने की
कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि की मौके स्थिति में भी फेरबदल हो जाता है, तो
प्रार्थी को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी
नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी।
ऐसी स्थिति में हस्तगत आवेदन में प्रार्थी वकील द्वारा प्रकट तर्क एवं पत्रावली पर उपलब्ध
राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रथम द्रष्यता प्रार्थी राहत प्राप्त करने के हकदार प्रतीत है।
अतःप्रथम द्रष्यता प्रकरण मे अन्तरिम स्थगन आदेश किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा विप्रार्थी संख्या 1 से 16 के विरूद्ध जारी अन्तरिम अस्थाई
दिनांक 22.01.2021 कि वे "मौजा डाबड़ भाटियान तहसील सिणधरी की खसरा संख्या
क्षेत्रफल 24.6664 हैक्टयर भूमि के सबंध में राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति
रखें।" को ताफैसला मूल वाद तक कन्फर्म किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 10.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी